झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

द्वितीय (बजट) सत्र
वर्ग–03

14 फाल्गुन, 1941 (श0)

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक– :---------- को
04 मार्च , 2020 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
(30)–	अ0सू0–01	डॉ0 लम्बोदर महतो	मानदेय का भुगतान	ग्रामीण विकास विभाग	21.02.20
(31)–	अ0सू0–10	श्री कुलू महतो	माईनिंग क्षेत्र में जलापूर्ति कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	28.02.20
(32)–	अ0सू0–05	श्री प्रदीप यादव	पंचायती राज को अधिकार देना।	ग्रामीण विकास विभाग	24.02.20
(33)–	अ0सू0–11	श्री बंधु तिर्की	नियुक्ति पत्र देना।	परिवहन	28.02.20
(34)–	अ0सू0–07	श्री मनीष जायसवाल	नियुक्ति पर विचार करना।	परिवहन	24.02.20
(35)–	अ0सू0–04	श्री प्रदीप यादव	राष्ट्रीय खर्वन मिशन योजना लागु करना।	ग्रामीण विकास	24.02.20
(36)–	अ0सू0–02	श्री बंधु तिर्की	फ्लैटों का आवंटन	नगर विकास एवं आवास	21.02.20
(37)–	अ0सू0–08	श्री मनीष जायसवाल	बजट का प्रावधान करना।	नगर विकास एवं आवास	24.02.20

कृ0 पृ0 उ0———

(38)- अ0सू0-13	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	मनरेगा कर्मियों को नियमित करना।	ग्रामीण विकास	28.02.20
(39)- अ0सू0-03	श्री उमाशंकर अकेला	लम्बित आवेदनों का निष्पादन।	परिवहन	22.02.20

.....

रॉंची
दिनांकः-04 मार्च,2020 (ई0)

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0-(प्रश्न)-.....648...../वि0स0,रॉंची,दिनांकः- 02/03/2020

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी
02/03/2020
(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0-(प्रश्न)-.....648...../वि0स0,रॉंची,दिनांकः- 02/03/2020

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी
02/03/2020
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0-(प्रश्न)-.....648...../वि0स0,रॉंची,दिनांकः- 02/03/2020

प्रतिलिपि :-कार्यवाही शाखा,वेबासाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा,झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी
02/03/2020
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

01.03.20

मंगल

(30)

माननीय स०वि०स० डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा दिनांक 04.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं० अ०सू० 01 की सूचना से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के बोकारो जिला में सेवारत पंचायत समिति सदस्यों का मानदेय मात्र 10 (दस) माह का ही भुगतान हुआ है;	अस्वीकारात्मक। अधिसूचना संख्या– 335 दिनांक 20.05.2015 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 हेतु राशि आवंटित की गयी है।
(2) क्या यह बात सही है कि इन्हें मिल रहा T.A/D.A का भुगतान भी बंद है;	अस्वीकारात्मक। अधिसूचना संख्या– 1290 दिनांक 24.09.2011 के आलोक में T.A/D.A हेतु राशि आवंटित की गयी है। पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा प्राप्त दावा पत्र/प्रस्तुत विपत्र के आलोक में T.A/D.A की राशि का भुगतान किया जाता है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बोकारो जिले के साथ–साथ राज्य के सभी पंचायत समिति सदस्यों के लगभग 40 (चालीस) माह का बकाया मानदेय भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांक:– 01 स्था (वि0)–26/2020–386–/, राँची, दिनांक:–03.03.2020

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 91 दिनांक 21.02.2020 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2020
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 01 स्था (वि0)–26/2020–386–/, राँची, दिनांक:–03.03.2020

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

03/03/2020
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 01 स्था (वि0)–26/2020–386–/, राँची, दिनांक:–03.03.2020

प्रतिलिपि:– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

03/03/2020
सरकार के उप सचिव।

सुनिता/02.03.2020

(31)

श्री दुलू महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2020 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 10 का उत्तर :–

	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1	क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधान सभा क्षेत्र एवं पुरे कोयलांचल में अंधाधुंध माईनिंग के कारण जल स्तर काफी नीचे चला गया है और क्षेत्र के सारे कुँए, तालाब, चापाकल सुखने के कगार पर है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बाघमारा प्रखण्ड कोल–माईनिंग क्षेत्र होने के कारण भूगर्भ जलस्तर नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र में औसत जलस्तर सामान्य दिनों में 18मी0 रहता है जो गर्मी के दिनों में 27मी0 चला जाता है। गर्मी में चापाकलों को कार्यरत रखने के लिए नलकूपों में औसतन 33मी0 पाईप लगाया जाता है। वर्त्तमान में इस प्रखण्ड में कुल 4798 नलकूप है जिसमें से 4058 अदद चालू स्थिति में है। इस तरह उपर्युक्त पेयजल स्त्रोतों प्रखण्ड की कुल आबादी 334309 के लिए पर्याप्त है। प्रखण्ड में कुल 11 अदद बृहत, 11 अदद लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं 27 अदद सौर उर्जा आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना है, जो चालू स्थिति में है।
2	क्या यह बात सही है कि माईनिंग इलाके में पीट्वाटर का विशाल भंडार है जिसे कंपनी द्वारा डीवाटरिंग करके बहा दिया जाता है, जबकि क्षेत्र में गंभीर समस्या है और आम लोगों को पानी के लिए दर–दर भटकना पड रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। यह मामला BCCL से संबंधित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार माईनिंग क्षेत्र में डिवाटरिंग हो रहे पीट् वाटर को पाईप लाईन द्वारा आस–पास के इलाके में आपूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	माईन्स पीट पर आधारित 04 अदद योजनाओं से जलापूर्ति की जा रही है एवं 05 अदद माईन्स पीट आधारित योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–31/2020– 633 राँची, दिनांक :– 3/3/2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय के ज्ञापांक–469, दिनांक–28.02.2020 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/08/2020

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–31/2020– 633 राँची, दिनांक :– 3/3/2020

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/उप सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/08/2020

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(92)

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 04.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0 – 05 पर उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता – श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
01. क्या यह बात सही है कि मनरेगा अधिनियम की धारा – 13 (1) के अन्तर्गत मनरेगा योजना के क्रियान्वयन एवं सूत्रण का अधिकार ग्राम सभा एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दी गयी है,	आंशिक स्वीकारात्मक। मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा – 13(1) के अनुसार "इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी स्कीमों की योजना और कार्यान्वयन के लिये जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर पंचायतें, **प्रधान** प्राधिकारी होगी।"
02. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में 10 लाख तक योजना की स्वीकृति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं उससे अधिक राशि की स्वीकृति का अधिकार उपायुक्त को दिया गया है जो मनरेगा अधिनियम के विरूद्ध है,	अस्वीकारात्मक। राज्य में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार निम्नवत दिया गया है :– 1. पाँच (05) लाख रूपये तक की प्राक्कलित राशि वाली योजनाओं हेतु ग्राम पंचायत कार्यकारणी समिति को प्राधिकृत किया गया है। 2. पाँच (05) लाख रूपये से अधिक एवं 10.00 (दस) लाख रूपये तक की प्राक्कलित राशि वाली योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। 3. दस (10) लाख रूपये से अधिक प्राक्कलित राशि वाली योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC) को प्राधिकृत किया गया है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मनरेगा का क्रियान्वयन सूत्रण एवं अनुश्रवण का काम त्रिस्तरीय पंचायती राज को देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य में मनरेगा योजना के **सूत्रण** एवं **क्रियान्वयन** का **प्रधान** प्राधिकार अधिनियम की धारा – 13(1) के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायतें ही है। विभागीय पत्रांक – (N) 905 दिनांक 16.05.2016 एवं पत्रांक – (N) 2250 (अनु0) दिनांक 21.09.2016 द्वारा मनरेगा योजनाओं के सूत्रण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में त्रिस्तरीय पंचायतों की भूमिका स्पष्ट की गयी है। मनरेगा अधिनियम की धारा – 14(3)(C) तथा भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत मनरेगा दिशा–निर्देश, 2013 की कंडिका – 6.8 के आलोक में ही मनरेगा योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार ग्राम पंचायत कार्यकारणी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक को दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13(B)–209 / वि0 स0 / 2020 / ग्रा0 वि0 – (N) 245 राँची, दिनांक 3 · 3 · 2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 260 / वि0स0 दिनांक 24.02.2020 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03.03.2020
(घनश्याम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 13(B)–209 / वि0 स0 / 2020 / ग्रा0 वि0 – (N) 245 राँची, दिनांक 3-3-2020

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव / माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव / अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03.03.2020
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

(23)

दिनांक 04–03–2020 को श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–11 की उत्तर सामग्री :–

	प्रश्नकर्ता श्री बंधु तिर्की स०वि०स०		उत्तर माननीय श्री चम्पई सोरेन परिवहन मंत्री, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि मोटरयान निरीक्षण (MVI) के पद पर विज्ञापन संख्या–18/2016 (बैकलॉग) नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसा होने के बावजुद लगभग 3 वर्ष बाद भी सफल 11 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा नहीं गया है,	–	अस्वीकारात्मक। मोटरयान निरीक्षक (MVI) के पद पर विज्ञापन संख्या–18/2016 नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 11 अभ्यर्थियों की अनुशंसा भेजा गया। उक्त सभी 11 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक, तकनीकी एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की जाँच की गयी। सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच के क्रम में कतिपय त्रुटियों एवं अनियमितताएँ पायी गयी है, जिसके कारण परिवहन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–136, सह पठित ज्ञापांक–2338, दिनांक–14.12.2018 द्वारा मोटरयान निरीक्षक के पद पर झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित सभी 11 (ग्यारह) अभ्यर्थियों के नियुक्ति का दावा अमान्य किया जा चुका है। सम्प्रति मोटरयान निरीक्षक के नियुक्ति से संबंधित उपरोक्त सभी 11 अभ्यर्थियों के मामले माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार खण्ड एक में वर्णित सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	–	उपर्युक्त खण्ड–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

03/03/2020
सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–21/2020 201 /राँची,दिनांक 03.03.2020

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके ज्ञाप सं०–468, दिनांक–28.02.2020 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2020
सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–21/2020 201 /राँची,दिनांक 03.03.2020

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

03/03/2020
सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग।

Bandhu Tirkey - Copy.doc

34

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

दिनांक 04-03-2020 को श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0 – 07 की उत्तर सामग्री :–

	प्रश्नकर्त्ता श्री मनीष जायसवाल स०वि०स०		उत्तर माननीय श्री चम्पई सोरेन परिवहन मंत्री, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2018–19 में सरकार द्वारा सभी जिलों में मोटरयान निरीक्षक के रिक्त पदों पर अर्हताधारी सेवानिवृत सैन्य कर्मियों को संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की गई है,	–	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पदों पर नियुक्ति से सम्बंधित आयोग के गठन होने के बावजूद विभागीय आयुक्त द्वारा नियुक्ति करना नियुक्ति नियमावली का उल्लंघन प्रतीत होती है,	–	अस्वीकारात्मक। परिवहन विभाग के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक के स्वीकृत 24 पदों के विरूद्ध वर्त्तमान में 12 मोटरयान निरीक्षक कार्यरत है, जिनमें से 02 मोटरयान निरीक्षक नियमित, 08 मोटरयान निरीक्षक के पद पर सेवानिवृत सैन्यकर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति तथा 02 सेवानिवृत्त मोटरयान निरीक्षक को संविदा पर नियुक्त किया गया है। मोटरयान निरीक्षक की कमी को ध्यान में रखते हुए Temporary Basis पर सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक के लिए मोटरयान निरीक्षक के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है। मोटरयान निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के क्रम में अहर्त्ताधारी अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने के कारण झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करते हुए परिवहन विभाग के पत्रांक–666, दिनांक–03.09.2019 द्वारा परिवहन विभाग के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक के रिक्त 20 (बीस) पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा के निमित्त अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है। (प्रति संलग्न)
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पदों की अहर्तधारी व योग्यताधारी सैकड़ों बेरोजगार डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी अभियन्ता नौकरी की प्रत्याशा में बैठे अपनी उम्र सीमा को गँवा रहे है,	–	अस्वीकारात्मक। उपरोक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्यहित एवं जनहित में खण्ड–01 में वर्णित पदों पर राज्य के अर्हताधारी एवं योग्यताधारी बेरोजगार युवकों को नियमित नियुक्ति होने तक संविदा/अनुबंध पर नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	–	अस्वीकारात्मक। उपरोक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

02/03/2020

सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग

Manish Jaiswal Alap Suchit 04.03.2020.doc

ज्ञापांक – 04 / परि०वि०(वि०स०)–20 / 2020 197 /राँची,दिनांक 02/03/2020

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके ज्ञाप सं –338, दिनांक–24.02.2020 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ /उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

02/03/2020

सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग

ज्ञापांक – 04 / परि०वि०(वि०स०)–20 / 2020 197 /राँची,दिनांक 02/03/2020

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

02/03/2020

सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची-834004

पत्रांक-परि०स्था०-5500/2010- 866 /राँची, दिनांक- 03.09.2019

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय: परिवहन विभाग के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक के अधीन झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग के अंतर्गत 20 (बीस) पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा के निमित्त अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजने के संबंध में।

प्रसंग: आपके कार्यालय का पत्रांक-6792, दिनांक-28.08.2019 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि मोटरयान निरीक्षक संवर्ग के सीधी नियुक्ति हेतु कुल 16 पदों एवं बैक लॉग भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 04 रिक्त पदों हेतु अलग-अलग संशोधित अधियाचना प्रेषित की जा रही है। प्रासंगिक पत्र के आलोक में सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना में क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत निःशक्त वन वर्ग के लिए अनुमान्य रिक्ति का अंकण तथा अधियाचना प्रपत्र की कंडिका-7 में न्यूनतम उम्र सीमा का अंकण कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि मोटरयान निरीक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती हेतु कुल 16 रिक्त पदों एवं बैक लॉग भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 04 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०- 1. सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रपत्र।
2. बैक लॉग भर्ती हेतु अधियाचना प्रपत्र।
3. संवर्ग नियमावली।

विश्वासभाजन

03/9/19

संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

Scanned by CamScanner

...खण्ड कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2011 के अध्याय–4(1) के प्रावधान के तहत सीधी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के लिए अधियाचना –

प्रपत्र–1

(सीधी नियुक्ति हेतु)

विभाग/कार्यालय का नाम – परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची

1		पद का नाम –	मोटरयान निरीक्षक	
2		संवर्ग –	झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग	
3		वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन –	35400–112400 (Level-6)	
4		1. कुल रिक्ति –	16	
		2. रोस्टर के अनुसार वर्गवार रिक्ति –		
	(क)	(i) अनारक्षित –	08	
		(ii) आ०क०वर्ग	01	
		(iii) अ०ज०जा०	03 (आदिम जनजाति का पद शून्य)	
		(iv) अ०जा०	02	
		(v) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)	01	
		(vi) अ० पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)	01	
	(ख)	क्षैतिज आरक्षण –		
		(क) अंधापन और कम दृष्टि–	1 %	1
		(ख) बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता–	1 %	0
		(ग) चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ट रोग मुक्त, बौनापन, अम्लीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास (Muscular dystrophy)	1 %	0
		(घ) स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या (ङ) बहु निःशक्तता (Multiple disablities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है–	1 %	0
		(च) महिला–	5 %	1
5		विहित शैक्षणिक योग्यता	(i) झारखण्ड विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा में विज्ञान के साथ मैट्रिक या सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एडुकेशन या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड/पर्षद की समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता। (ii) झारखण्ड राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या अन्य किसी राज्य के तकनीकी शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑटोमोबाईल अभियंत्रण या यांत्रिक अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष डिप्लोमा या संबंधित विषयों में उच्चतर योग्यता।	
6		विहित तकनीकी योग्यता– कौशल परीक्षण	मोटर साइकिल, भारी मालवाहक एवं भारी यात्री मोटर वाहन चलाने का वैध लाईसेन्स।	
7		उम्र सीमा (न्यूनतम/अधिकतम)–	न्यूनतम–21 वर्ष/अधिकतम–कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–609, दिनांक–25.01.2016 अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के अनुसार।	

Scanned by CamScanner

8	अनुभव (यदि कोई हो)–	डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त किसी फैक्ट्री एक्ट के तहत निबंधित अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रम अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित ऑटोमोबाईल अभियंत्रण कर्मशाला, जो डीजल एवं पेट्रोल दोनों प्रकार के इंजनों से युक्त हल्के मोटर वाहन, भारी माल वाहक और भारी यात्री वाहनों की मरम्मती कार्यों से सम्बद्ध हो, में मरम्मती, ओवर हॉलिंग एवं निरीक्षण का न्यूनतम एक वर्ष का व्यावहारिक कार्य अनुभव।
9	अन्य कोई शर्त (यदि हो)–	–
10	चयन की प्रक्रिया–	प्रतियोगिता परीक्षा जो झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जायेगी, के आधार पर
11	नियुक्ति पदाधिकारी का पदनाम–	राज्य परिवहन आयुक्त, झारखण्ड।
12	सेवा संवर्ग नियमावली के अनुसार परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम (नियमावली के साथ)	झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 यथा संशोधित झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2014, झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2015 एवं झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2019 संलग्न है।
13	अभ्युक्ति	–

नियुक्ति प्राधिकार का हस्ताक्षर एवं मुहर
राज्य परिवहन आयुक्त
परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची
परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।

Scanned by CamScanner

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग विनियमावली–2011 के अध्याय–4(1) के प्रावधान के तहत
सीधी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के लिए अधियाचना –

प्रपत्र–1

(बैक लॉग भर्ती प्रक्रिया के तहत)

विभाग/कार्यालय का नाम – परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची

1	पद का नाम –		मोटरयान निरीक्षक		
2	संवर्ग –		झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग		
3	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन –		35400–112400 (Level-6)		
4	1. कुल रिक्ति –		04		
	2. रोस्टर के अनुसार वर्गवार रिक्ति –		बैक लॉग से नियुक्ति हेतु		
	(क)	(i) अ०ज०जा०	03 (आदिम जनजाति का पद शून्य)		
		(ii) अ०जा०	0		
		(iii) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)	0		
		(iv) अ० पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)	01		
	(ख)	क्षैतिज आरक्षण –			
		(क) अंधापन और कम दृष्टि–	1 %	0	
		(ख) बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता–	1 %	0	
		(ग) चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ट रोग मुक्त, बौनापन, अम्लीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास (Muscular dystrophy)	1 %	0	
		(घ) स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या (ङ) बहु निःशक्तता (Multiple disablities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है–	1 %	0	
		(च) महिला–	5 %	0	
5	विहित शैक्षणिक योग्यता		(i) झारखण्ड विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा में विज्ञान के साथ मैट्रिक या सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एडुकेशन या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड/पर्षद की समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता। (ii) झारखण्ड राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या अन्य किसी राज्य के तकनीकी शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑटोमोबाईल अभियंत्रण या यांत्रिक अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष डिप्लोमा या संबंधित विषयों में उच्चतर योग्यता।		
6	विहित तकनीकी योग्यता– कौशल परीक्षण		मोटर साइकिल, भारी मालवाहक एवं भारी यात्री मोटर वाहन चलाने का वैध लाईसेन्स।		
7	उम्र सीमा (न्यूनतम/अधिकतम)–		न्यूनतम–21 वर्ष/अधिकतम–कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–609, दिनांक–25.01.2016 अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के अनुसार।		

Scanned by CamScanner

8	अनुभव (यदि कोई हो)–	डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने या समतुल्य किसी कमेटी एक्ट के तहत निबंधित अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रम अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक/निजी अभिलेख कर्मशाला, जो डीजल एवं पेट्रोल दोनों प्रकार के इंजनों से युक्त हल्के मोटर वाहन, भारी माल वाहक और भारी यात्री वाहनों की मरम्मती कार्यों से सम्बद्ध हो, में मरम्मती, ओभर हॉलिंग एवं निरीक्षण का न्यूनतम एक वर्ष का व्यवहारिक कार्य अनुभव।
9	अन्य कोई शर्त (यदि हो)–	—
10	चयन की प्रक्रिया–	प्रतियोगिता परीक्षा जो झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जायेगी, के आधार पर
11	नियुक्ति पदाधिकारी का पदनाम–	राज्य परिवहन आयुक्त, झारखण्ड।
12	सेवा संवर्ग नियमावली के अनुसार परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम (नियमावली के साथ)	झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 यथा संशोधित झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2014, झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2015 एवं झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2019 संलग्न है।
13	अभ्युक्ति	—

नियुक्ति प्राधिकार का हस्ताक्षर एवं मुहर
राज्य परिवहन आयुक्त
परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची
परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची

Scanned by CamScanner

(35)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा सदन में दिनांक 04.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–04 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	अल्पसूचित प्रश्न	उत्तरदाता, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूर्बन मिशन के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएँ एवं अन्य सुविधाएँ गाँवों का क्लस्टर बना कर प्रारम्भ किया गया है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि इस योजना का क्रियान्वयन सरकार ने चिन्हित 15 क्लस्टरों में 3 चरणों में प्रारंभ किया है;	स्वीकारात्मक
3	क्या यह बात सही है कि सरकार की उदासीन रवैये एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों की उदासीन रवैये से यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नही कर पायी है?	अस्वीकारात्मक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत तीन चरणों में चयनित कुल 15 क्लस्टरों के समेकित क्लस्टर कार्य योजना (ICAP) में Critical Gap Fund (CGF) के तहत स्वीकृत कुल राशि ₹30828.00 लाख की 667 योजना के विरूद्ध ₹11238.46 लाख की 312 योजनाओं का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) अनुमोदित किया गया है। योजना के दिशानिर्देश के आलोक में रूर्बन क्लस्टरों में अभिसरण (Convergence) एवं CGF के तहत चयनित योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रभावी कदम उठा कर योजना को सफल करना चाहती है? हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक:–09-SPMRM-02/2020/ 940, /ग्रा०वि०, राँची, दिनांक– 03/03/2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०– 259/वि०स० दिनांक 24.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/20
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:–09-SPMRM-02/2020/ 940, /ग्रा०वि०, राँची, दिनांक– 03/03/2020

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/20
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:–09-SPMRM-02/2020/ 940. /ग्रा०वि०, राँची, दिनांक– 03/03/2020

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा– 03 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/20
सरकार के उप सचिव।

(36)

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–न०–02 का उत्तर

क्रम० सं०	प्रश्न	उत्तर
	माननीय मंत्री , नगर विकास एवं आवास विभाग , यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- 1- क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीब एवं अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए जुडको द्वारा 180 किफायती फ्लैट का निर्माण राँची के बनहोरा में कराया गया है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) परिवारों के लिए जुडको द्वारा 180 किफायती फ्लैट का निर्माण राँची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बनहोरा में कराया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि 180 किफायती फ्लैटों के आवंटन के विरुद्ध मात्र 135 आवेदकों ने ही आवेदन दिया है ;	राँची नगर निगम के पत्रांक 120 दिनांक 19-02-20 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान में 167 आवेदकों ने आवेदन समर्पित किया है।
3.	क्या यह बात सही है कि फ्लैटों के आवंटन प्रक्रिया में स्थानीय को प्राथमिकता न देकर लौटरी पद्धति का सहारा लेकर मनमानी की जा रही है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या 5382 दिनांक 02-11-18 में विस्तृत मार्गदर्शिका एवं संशोधित S.O.P.(Standard Operating Procedure) के तहत फ्लैटों का आवंटन किया जा रहा है। संकल्प संख्या 5382 के कंडिका 4.3.1 के तहत "लाभुक की पात्रता के लिए कट- ऑफ़- डेट (Cut-of-date) मिशन के शुभारम्भ की तिथि अर्थात दिनांक – 17-06-2015 है" एवं कंडिका 4.3.2 के तहत "लाभार्थी को स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त कट –ऑफ़-डेट के पूर्व उस शहरी क्षेत्र / स्लम का निवासी होना अनिवार्य है।" बनहौरा में प्रस्तावित 180 आवासों वाली इस योजना की कुल लागत रू० 10.22 करोड़ है। जिसमें प्रति आवास लागत रू० 5.67 लाख (लगभग) के विरूद्ध अंशदान निम्न है:– भारत सरकार का अंशदान – 1.5 लाख रू० राज्य सरकार का अंशदान – 1.00 लाख रू० एवं लाभुक अंशदान रू० 3.17 लाख (लगभग)
4.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार स्थानीय आवेदकों के हित में किफायती फ्लैटों के आवंटन का विचार रखती है , नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त उत्तर में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–01 / वि०म०प्र०–02 / 2020 न०वि०आ०– 842 राँची, दिनांक– 02/03/2020

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–प्र०–115 / वि०स०, दिनांक–21.02.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2-3-20

सरकार के अवर सचिव।

(34)

श्री मनीष जयसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.03.2020 को पूछा जाने वाला अ0सू0 प्रश्न संख्या–अ0सू0–08 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष–18 में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तरी छोटानागपुर, पलामू, संथाल परगना एवं कोल्हान प्रमंडल में चार नये क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन कर राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के क्षेत्र का विस्तार किया गया है, जिसके अन्तर्गत गुमला, खूंटी, सिमडेगा एवं लोहरदगा को शामिल किया गया है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित नये प्राधिकारों के गठन होने के बावजूद अबतक उक्त प्राधिकारों के आधारभूत संरचना के गठन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसके कारण उक्त प्राधिकार क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रही है;	नव गठित प्राधिकारों के लिए विभिन्न स्कन्ध हेतु पदों का सृजन संकल्प संख्या–6119, दिनांक–27.12.2018 द्वारा किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्र के विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा कोई बजट का प्रावधान अबतक नही किए जाने के कारण उक्त प्राधिकार क्षेत्र में रहने वाले लागों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है जबकि संबंधित प्राधिकार सरकार का अंग है;	राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के गठन के पीछे मूलभूत उद्देश्य राँची शहर के आसपास के क्षेत्र का सुनियोजित शहरी विकास किया जाना है। इस क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के क्षेत्राधीन आबादी के सुव्यवस्थित बसावट हेतु बड़े आधारभूत संरचना जैसे–बड़े सड़कों आदि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार हेतु किये गये बजट उपबंध से राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के क्षेत्राधीन रॉक गार्डेन के विकास कार्य हेतु 1.81 करोड़ रू० की योजना स्वीकृत की गयी है एवं केशर विहार कॉलोनी में सड़क, नाला तथा कल्वर्ट निर्माण हेतु कुल 4.99 करोड़ रू० की एक योजना के स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के क्षेत्राधीन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी विकास कार्य सम्पादित किये जाते है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में नवगठित प्राधिकारों के आधारभूत संरचना का गठन करते हुए उक्त सभी प्राधिकार क्षेत्रों के विकास कार्य हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में बजटीय प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रथम भाग–स्थापना से संबंधित। द्वितीय भाग–वर्त्तमान वित्तीय वर्ष की भांति आगामी वित्तीय वर्ष में भी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के क्षेत्रों के विकास हेतु बजट उपबंध प्रस्तावित है।

झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक– 904 राँची, दिनांक– 03/03/2020

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखंड विधानसभा को उनके ज्ञा0सं0–339, दि०–24.02.2020 के आलोक में प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.3.20

सरकार के अवर सचिव

(38)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्या, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 04.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0 – 13 से संबंधित उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्या, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता – श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने 10 वर्ष पुरा कर चुके संविदा कर्मियों के नियमित करने का फैसला लिया है, जिसमें मनरेगा कर्मी को शामिल नही किया गया हैं	अस्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या – 1348 दिनांक 13.02.2015 द्वारा झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 बनाई गयी है जिसमें अधिसूचना संख्या – 4871 दिनांक 20.06.2019 द्वारा संशोधन किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना मनरेगा कर्मियों पर लागु नहीं होती है।
2. क्या यह बात सही है कि मनरेगा एक्ट सेक्शन (18) यह उपबंध करता है कि "राज्य सरकार जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारियों को ऐसे अनिवार्य कर्मचारीवृन्द (Staff) और तकनीकी सहायता जो स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो उपलब्ध कराएगी" मनरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए कर्मियों की व्यवस्था, सेवा शर्त तथा वेतन का निर्धारण राज्य सरकार का दायित्व है;	अस्वीकारात्मक। मनरेगा अधिनियम, 2005 एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक – V-24011/5/2005-SGRY(M)Pt दिनांक 17.11.2005 तथा पत्रांक – V-28012/3/2006/NREGA दिनांक 10.01.2006 से प्राप्त निर्देश के आलोक में झारखण्ड राज्य में संविदा आधारित पदाधिकारियों/कर्मियों के नियुक्ति हेतु नियुक्ति, सेवा शर्त एवं कर्त्तव्य नियमावली, 2007 विभागीय संकल्प ज्ञापांक – 4729 दिनांक 04.06.2007 निर्गत है। नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में मनरेगा योजना के संचालन हेतु कर्मियों की नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर की जाती है। संविदा पर नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के मासिक मानदेय का भुगतान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी 6% प्रशासनिक मद की राशि से ही किये जाने का प्रावधान है। नियमावली की कंडिका – 11 (क) में यह भी
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार अन्य संविदा कर्मियों की तरह मनरेगा कर्मियों को भी नियमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

	प्रावधान कि संविदा पर नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13(B)–217/वि0 स0/2020/ग्रा0 वि0 – (N)250 राँची, दिनांक 03·03·2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 470/वि0स0 दिनांक 28.02.2020 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3·3·2020
(मिथिलेश कुमार नीरज)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 13(B)–217/वि0 स0/2020/ग्रा0 वि0 – (N)250 राँची, दिनांक 03·03·2020

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ अवर सचिव (प्रशाखा – 03) ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3·3·2020
सरकार के अवर सचिव।

(31)

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

एफ.एफ.पी.भवन, धुर्वा, राँची

दिनांक 04–03–2020 को श्री उमा शंकर अकेला, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–03 की उत्तर सामग्री :–

	प्रश्नकर्त्ता श्री उमा शंकर अकेला स०वि०स०		उत्तर माननीय श्री चम्पई सोरेन परिवहन मंत्री, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि पूरे झारखण्ड राज्य में हजारों–हजार आवेदन हेवी ड्राईविंग लाईसेंस के निमित्त लम्बित पड़े हुए हैं जिससे चालकों को भारी कठिनाईयों का न केवल सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उन्हें अनावश्यक भारी जुर्माना भी भरना पड़ रहा है जिससे वे दहशत में हैं,	–	अस्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में अविलम्ब कैम्प लगाकर लम्बित आवेदनों का निष्पादन कर वांछित लाईसेंस जारी करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	–	• केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम–14 'ड' एवं मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा–9 एवं 12 के तहत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारी चालक प्रशिक्षण विद्यालय (झारखण्ड के धनबाद स्थित) से निर्गत प्रपत्र–5 प्राप्त तथा निर्धारित अहर्ता पूर्ण करने वाले आवेदकों के सारथी–4 सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के उपरांत सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया एवं विभिन्न चरणों के अनुसार भारी चालक अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाता है। • अनुज्ञप्ति निर्गत करने की प्रक्रिया ऑनलाईन है। आवेदनों की संख्या के आधार पर उनके द्वारा अर्जित वाहन चालन परीक्षण की तिथि एवं समय जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बढ़ाया जाता है।

(ह०) 03/03/2020

सरकार के उप सचिव

परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–16/2020 202 /राँची,दिनांक 03-03-2020

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–178, दिनांक–22.02.2020 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 03/03/2020

सरकार के उप सचिव

परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–16/2020 202 /राँची,दिनांक 03-03-2020

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 03/03/2020

सरकार के उप सचिव

परिवहन विभाग।